BEFORE THE BOARD OF REVENUE MADHYA PRADESH AT ~~JABALPUR~~, MADHYA PRADESH
GWALIOR.

APPEAL NO: /2015

APPELLANT:

M/s. OK Food Private Limited
(A company registered under the provision of Companies Act,1956) having its Registered Office at 519,Gandhi Ganj, Jabalpur, M.P, through its Directors Rajesh Gupta, S/o Late Shri Mohanlal Gupta, Aged about 56 years, R/o. 2382 Wright Town, Jabalpur and Ashok Paryani, S/o D.R.Parwani , Aged about 45 years, R/o. 450, Vijay Nagar,Jabalpur,(M.P)

Versus

RESPONDENT:

1. State of Madhya Pradesh through Sub Registrar, Registration, Jabalpur, (M.P)
2. The Collector of Stamps, Jabalpu,(M.P).
3. Union Bank of India, Through Branch Manager, Gopal Bagh Branch, Jabalpur

OK FOOD PVT. LTD.
Director

APPEAL/REVISION UNDER SECTION 56(4) OF THE INDIAN STAMP ACT,1899

Being aggrieved by the order dated 10.07.2015 passed in case no. 960/B-103/Section -31/2014-15 by the collector of Stamps, Jabalpur Certified Copy of the order filed herewith as (**ANNEXURE A-1**), the appellant, named above, most humbly and respectfully begs to prefer the instant appeal inter alia on the following facts and grounds among others:

NOTARY
Reg.-8.4.04
GOVT. OF M.P. INDIA
5 OCT 2015

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण कमांक – निग0 7054–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 960/बी–103/धारा 31/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 10–7–15 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्पएक्ट, 1899 की धारा 56 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा) के अंतर्गत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 3 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोपालबाग, जबलपुर की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार चौकसे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण स्टाम्प एक्ट की धारा 31 की कार्यवाही में लिया गया एवं आवश्यक कार्यवाही उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा कुल ऋण राशि 25,80,00,000/– पर 0.5 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क प्रभार्य माना परंतु नियमानुसार अधिकतम 10,00,000/– मुद्रांक शुल्क देय होना मानते हुए बैंक द्वारा चुकाये गये मुद्रांक शुल्क की राशि रूपये 2,50,000/– को कम करते हुए शेष 7,50,000/– रूपये मुद्रांक शुल्क चुकाये जाने के आदेश दिए गए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी पेश की गई है । 3/ प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 28–9–16 को उभयपक्षों की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण अनावेदकों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आवेदक को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने के निर्देश दिए गए थे किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण	

निग. 7054-दो/15 (रायपुर)

मे. ओ.के.फूड्स प्रा.लि. विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 4/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में अनावेदक कमांक 3 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आवेदक को ऋण दिया गया है और राशि की सुरक्षा हेतु फर्म की अचल संपत्ति को बंधक किया गया है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों के तहत दिनांक 16–9–14 को संशोधित अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 7 (क) के तहत ऋण राशि पर मुद्रांक शुल्क एवं पंचायत शुल्क प्रभार्य माना गया है । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	